छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19,

नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

Email-hocecb@gmail.com

क्रमांक 9747/मु./तक./छ.ग.प.सं.मं./2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9/2/2021

—::कार्यालय आदेश::—

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत् छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन किया गया है।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योगों/कार्यकलापों/संस्थानों को जारी किये जाने वाले सम्मति/सम्मति नवीनीकरण तथा इनके श्रेणीकरण के लिए वर्तमान में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र क्रमांक बी–29012/ईएसएस(सीपीए)/2015–16/8568 दिनांक 07/03/2016 में दिए गए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1)(बी) के अंतर्गत जारी निर्देश में संलग्न 'फाइनल रिपोर्ट' में वर्णित इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हेतु निर्धारित रिवाईज्ड क्राईटेरिया तथा लाल, नारंगी, हरा एवं सफेद श्रेणी के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की रिवाइज्ड लिस्ट को दिनांक 13/06/2016 को अंगीकृत किया गया है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र क्रमांक बी–29016/आरओजीडब्ल्यू /आईपीसी–वीआई/2020–21/30 में दिनांक 30/04/2020 को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1)(बी) के अंतर्गत दिये गये निर्देश जारी कर Scrapping Centres, Used Cooking Oil (UCO) collection centres, Compressed/Refined Bio-Gas Production from Bio-degradable Wastes and Railway Stations के वर्गीकरण को संशोधित किया जाकर संशोधन का अंगीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के परिपालन में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पुनः पत्र दिनांक 07/07/2020 के माध्यम से उक्त वर्गीकरण को संशोधित कर अंगीकृत किया गया है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पुनः छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र क्रमांक बी–29016/आरओजीडब्ल्यू/आईपीसी–वीआई/2020–21 दिनांक 10/07/2020 के माध्यम से डेयरी फार्मों एवं गौशालाओं के वर्गीकरण में संशोधन किया जाकर उक्त संशोधन को अंगीकृत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के पालन में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पुनः पत्र दिनांक 19/08/2020 के माध्यम से उक्त वर्गीकरण को संशोधित कर अंगीकृत किया गया था।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पुनः छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र क्रमांक सी.पी.सी.बी./आईपीसी–VI/आरओजीडब्ल्यू/4959, दिनांक 12/01/2021 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1)(बी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गतिविधियों के वर्गीकरण को अंगीकृत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. Building and Construction Projects, having buil-up area up to 20,000 m^2 and waste water generation $\geq$ 50 KLD.
2. Construction and Demolition (C&D). Waste Processing Plants.
3. Gold Assaying & Hallmarking Centres.

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल एतद् द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र कमांक सी.पी.सी.बी./आईपीसी–VI/आरओजीडब्ल्यू/4959, दिनांक 12/01/2021 के साथ संलग्न Annexure–I में उल्लेखित नवीन वर्गीकृत सेक्टर्स की सूची को तत्काल प्रभाव से अंगीकृत करता है।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /मु./तक./छ.ग.प.सं.मं./2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक / /2021

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/सहायक अभियंता, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर/दुर्ग–भिलाई/बिलासपुर/ रायगढ़/ कोरबा/ अंबिकापुर/ जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

E:\D Mishra\CECB DOCS\Letter Plastic MSW And Other New 2.Doc